निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 88/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट, पिथौरागढ़, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ़, के माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संतोष गुप्ता, सहयक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 17.10.2017 से 27.10.2017 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रभाकर दूबे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आंनद कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मंजीत कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.2014 से 27.05.2014 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें जून 2011 से अप्रैल 2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट द्वारा डीडीहाट प्रखण्ड के अंतर्गत विभिन्न विभागों के निक्षेप निर्माण कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-) ` (लाख में)	बचत (+) ` (लाख में)
	स्थापना ` (लाख में)	गैर स्थापना ` (लाख में)	आवंटन ` (लाख में)	व्यय ` (लाख में)	आवंटन (लाख में)`	व्यय ` (लाख में)		
2014-15	-	-	98.13	97.09	-	-	-	1.04
2015-16	-	-	104.35	95.58	-	-	-	8.77
2016-17 (09/2016)	-	-	107.30	63.40	-	-	-	43.90

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) विभाग **का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-**

(संगनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाये)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग **को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता,** ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ **की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह** फरवरी **2016** एवं जून **2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।** शून्य (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। **प्रतिचयन** (शून्य) (प्रतिचयन तिथि का नाम अंकित किया जाये) **अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।**

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

----------शून्य----------

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN प्रस्तर**
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 24/2014-15	Nil	04	Nil

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

---------- Nil ----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2. सतत् अनियमितताएः- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
i	श्री जीवन सिंह धर्मशक्तू	अधिशासी अभियंता	वर्ष 2012 से जून, 2016
ii	श्री किशोर कुमार पंत	अधिशासी अभियंता	जुलाई 2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : कन्च्योती सोबला मोटर मार्ग निर्माण पर रू0 243 लाख का अनियमित व्यय।

वर्ष 2013 में आयी भीषण आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त कन्च्योति–तवाघाट मार्ग का मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा था। जिसमे से 05 किमी की कन्च्योति–सोबला मार्ग का मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य 27–03–14 को अपर मुख्य सचिव द्वारा विभाग को प्रदान किया गया था। सचिव वित्त द्वारा उपरोक्त निर्णय के उपरांत 5 किमी के कन्च्योति–सोबला मार्ग का मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा विभागीय दरों पर रू0 243 लाख का आगणन तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया था। उपरोक्त आगणन के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 09.04.2014 को रू0 243 लाख के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दिनांक 27.03.2014 के बाद अधिशासी अभियंता द्वारा श्री दिलीप सिंह अधिकारी, ठेकेदार से दुरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में दिनांक 01.04.2014 को ठेकेदार ने यह अवगत कराया कि वह कार्य करने के लिए तैयार है परन्तु उपरोक्त मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विभागीय दरों पर कार्य कर पाने में असमर्थता जताई थी। उपरोक्त के संबंध में विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 01.04.2014 को अवगत भी कराया गया था। ठेकेदार नें दिनांक 05.04.2014 को अपनी दरें विभाग को प्रेषित की थी। पुनः विभाग द्वारा आगणन विभागीय दरों, बाजार की प्रचलित दरों एवं ठेकेदार द्वारा प्रेषित दरों के आधार पर तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया था। बाजार की प्रचलित दरें विभागीय दरों सें 54.30 प्रतिशत अधिक एवं ठेकेदार द्वारा प्रेषित दरें विभागयी दरों सें 73.98 प्रतिशत अधिक थी। इस संबंध में उपरोक्त दरों के संबंध में आख्या जिला स्तरीय परियोजना कियान्वयन इकाई को प्रेषित की गयी थी। इसी आधार पर जिला स्तरीय परियोजना कियान्वयन इकाई नें दिनांक 11.04.2014 बाजार की प्रचलित दरों पर रू0 243 लाख की सीमा के अन्तर्गत कार्य कराने की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। इसी दौरान बिना निविदा आमंत्रित किये एवं बिना तकनिकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के दिनांक 06.04.2014 सें कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था। जबकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या 279/एफ/XVIII–2/15(32)/ए./2013 दिनांक 18 फरवरी 2014 में यह स्पष्ट वर्णित किया गया था कि 25 लाख से अधिक के कार्य निविदा आमंत्रित करके कराया जायेगा जिसकी अवधि 07 दिनों की होगी। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 17.04.2014 सचिव, वित्त को प्रेषित पत्र में यह जिक्र किया गया कि दिनांक 16.04.2014 को किये गये स्थल निरीक्षण में यह प्रकाश में आया कि कन्च्योति एवं सोबला दोनो तरफ से कार्य प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। अधिशासी अभियंता से पूछे जाने पर उन्होनें अवगत कराया कि ठेकेदार को उपरोक्त कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है परन्तु कमांडिग ऑफिसर, ग्रेफ, धारचुला द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य रोक दिया गया है। उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त होते ही सचिव महोदय को आगामी प्रगति से अवगत कराने का जिक्र किया गया था। परन्तु अनुमति के संबंध में कोई भी साक्ष्य विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। दिनांक 26.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत किये जाने के उपरांत दिनांक 30.06.2014 को ठेकेदार के साथ बाजार की प्रचलित दरों पर

अनुबंध किया गया था। माह अगस्त 2016 को कार्य की माप कराकर ठेकेदार को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था जबकि शर्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तृतीय पक्ष की निरीक्षण आख्या के उपरांत ही किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा 05 सितम्बर 2014 को जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित पत्र द्वारा धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित किया गया था, साथ ही तृतीय पक्ष से जांच कराने का अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष के रूप में नियुक्त अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग द्वारा प्रेषित आख्या संलग्न थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कार्य की तकनीकी गुणवत्ता की जांच करा ली गयी है। कार्य शतप्रतिश सही है, परन्तु विभाग द्वारा उपरोक्त जांच आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

विभाग से इस संबध में पूछे जाने पर कि विभाग द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किये कार्य कराये जाने का क्या औचित्य था तथा तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता के संबंध में किये गये जांच की आख्या उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण है। विभाग ने अवगत कराया कि जिला स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई की अनुमति के उपरांत ही कार्य की महत्ता एवं कार्य स्थल की परिस्थितियों के अनुसार ही कार्य बिना निविदा आंमत्रित किये सम्पन्न कराया गया था तथा विभिन्न पक्षों द्वारा समय समय पर कार्य की गुणवत्ता की जांच कार्य के समय ही किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या 279/एफ/XVIII–2/15(32)/ए./2013 दिनांक 18 फरवरी 2014 में यह स्पष्ट वर्णित किया गया था कि 25 लाख से अधिक के कार्य निविदा आमंत्रित करके कराया जायेगा जिसकी अवधि 07 दिनों की होगी, साथ ही दिनांक 09.04.2014 को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बिन्दू संख्या 11 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि कार्य कराते समय वित्तीय एवं टैण्डर के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये एवं बिना किसी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था।

पुनः विभाग से पूछे जाने पर कि जिला स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा कुल 05 किमी मोटर मार्ग के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने के बावजूद मात्र 3.705 किमी मार्ग के निर्माण का क्या कारण था, विभाग ने अवगत कराया कि प्रारम्भ में जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत ही विभागीय दरों पर कन्च्योती–सोबला मोटर मार्ग के 05 किमी दूरी के पुर्ननिर्माण हेतू विस्तृत आगणन तैयार किया गया था तथा बाद में आवश्यकता के आधार पर कुल 10.625 किमी से 14.330 किमी तक (3.705 किमी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सम्पन्न किया गया था। विभाग का यह उत्तर भी मान्य नहीं है क्योकिं विभाग ने स्वयं अवगत कराया है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलास्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था तथा आवश्यता के अनुसार ही 05 किमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतू विस्तृत आगणन तैयार किया गया था जिसके आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी। यदि ऐसा था तो बाद में मात्र 3.705 किमी मोटर मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य नहीं था।

इस प्रकार वित्तीय नियमों का उलंघन करतें हुये कन्च्योति सोबला मोटर मार्ग के निर्माण पर कुल 243 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 42.82 लाख के निर्माण कार्य में ` 10.86 लाख के अस्वीकृत वैरिएशन एवं 135572.00 का अनियमित भुगतान।

नियमानुसार 20 प्रतिशत से कम भिन्नताओं का भुगतान का अनुमोदन अनुबंधकर्त्ता अधिकारी तथा इससे अधिक की भिन्नताओं का भुगतान अनुबंधकर्ता अधिकारी से अगले उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

पुनः जिन कार्य स्तरों का प्रशासनिक अनुमोदन नहीं है या तकनीकी स्वीकृति नहीं है उनका बिना प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति लिये एक्सट्रा आईटम से नहीं कराया जा सकता।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण निगम, डीडीहाट के निर्माण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राजकीय अपर प्रा. स्कूल चौसाला के निर्माण (बेरीनाग) कार्य का आगणन जिला परियोजना अधिकारी RMSA पिथौरागढ़ के पत्रांक रामाशिअ/110–113/निर्माण/2011–12 दिनांक 12.09.11 के अनुसार कुल लागत ` 42.82 लाख का स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य को कराने हेतु समयानुक्रम में क्रमशः दो अनुबंध 6/ग्रा.अ.ई./ई.ई./12–13 दिनांक 12.09.12 (अनु. राशि ` 3581809.04) एवं 06/ग्रा.नि.वि./ए.ई.(III)/2015–16 दिनांक 07.10.15 (अनु. धनराशि 879321.83) किया गया।

अनुबंध सं.–6/ग्रा.अ.से./ई.ईत्र/2012–13 से सम्बन्धित वैरिएशन स्टेटमेंट के अनुसार कुल ` 10.86 लाख का वैरियएशन का भुगतान ठेकेदार को किया गया जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं होकर केवल अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत था। सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भिन्नता स्वीकृत कर ली गई है।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृत कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य हस्तगत हेतु पत्र लिखा जा चुका है।

पुनः अनुबंध सं 6/ग्रा.नि.वि./AE (III)/2015–16 से सम्बन्धित Extra Item (` 135572 का) सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत नहीं था और उक्त के अतिरिक्त दरों में परिवर्तन भी हुआ था। विभाग ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करा लिया गया है।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त Extra Item पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक थी और इस संबंध में विभाग द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ` 31.98 लाख की Unclaimed जमानती धनराशि का राजस्व खाते में जमा नहीं कराया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (FHB) VoL.-VI का पैरा–622 प्रावधानित करता है कि निक्षेप कार्यों से सम्बन्धित खातों में विभिन्न मदों में पड़ी हुई तीन वर्ष से ज्यादा समय से दावारहित धनराशि को तदनुसार केन्द्र/राज्य के राजस्व में जमा किया जाना चाहिए।

प्रभाग द्वारा सुरक्षा जमानत (Security Deposit), निष्पादन जमानत (Performance Security), निविदा जमानत (Bid Security) इत्यादि के रूप में ठेकेदारों से धनराशि लिया जाता है। इस धनराशि को सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लौटा दिया जाना चाहिए तथा तीन वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। तीन वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उक्त धनराशि को नियमानुसार राज्य सरकार के राजस्व खाते में जमा कराया जाना चाहिए।

अभिलेखों एवं खातों की जांच में पाया गया कि सितम्बर 2013 तक प्रभाग के खातों में विभिन्न जमानती मदों में कुल ` 31.98 लाख जमा थे। वर्तमान में उपरोक्त जमाराशियों के दावेदारी/वापसी में तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

इस संदर्भ में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया इन नियमों का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः तीन साल से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ` 31.98 लाख की Unclaimed जमानती धनराशि का राजस्व खाते में जमा नहीं कराया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : सीमित निविदा पृच्छा विधि न अपनाकर, कोटेशन आधार पर ` 1,76,000/– की सामग्री की खरीद।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 12 (1) के अनुसार सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत ` 15,00,000/– तक हो और जो नियम 8, 9 एवं 10 के अंतर्गत न आते हों।

इकाई की क्रय से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि इकाई ने मै0 हिमालया इण्टर प्राईजेज, रूद्रपुर को 100 ली0 क्षमता का रिवाल्विंग डस्टबीन (डबल एवं सिंगल) की आपूर्ति हेतु दिनांक 13.03.2015 को 04 नग @ 12500, धनराशि 50000/–, 18.03.2015 को 02 नग @ 21000 धनराशि 42000, 24.03.2015 को 02 नग @ 21000 धनराशि 42000 तथा 30.03.2015 को 02 नग @ 21000 धनराशि 42000, इस प्रकार कुल धनराशि ` 1,76,000 की सामग्री के क्रय आदेश जारी किये। फर्म द्वारा दिनांक 11.04.2015 को ` 1,76,000 की सामग्री की आपूर्ति इकाई को कर दी गई।

इस प्रकार इकाई द्वारा सीमित निविदा पृच्छा की विधि से बचने के लिये अलग–अलग तिथियों में कोटेशन आधार पर क्रय आदेश जारी कर, टुकड़ों में सामग्री की खरीद की।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि सामग्री का क्रय कोटेशन आधार पर किया गया है, एवं भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत एवं मान्य नहीं है क्योंकि निविदा प्रणाली से बचने के लिये सामग्री को टुकड़ों में, अलग–अलग तिथियों में एक ही सामग्री को कोटेशन आधार पर क्रय किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।